न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 21/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मूसदा जिला–अजमेर

————वादी

ब ना म

1– श्री भीमा पुत्र मोती
2– श्रीमति छोटी पत्नि सोहनसिंह
3– श्रीमति गीता पत्नि गोपालसिंह
समस्त जाति रावत निवासी लहरी तहसील मसूदा जिला–अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.12.2017

तहसीलदार मसूदा ने सारांक्षत अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3755/1 रकबा 19–7–00 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसका मौका निरीक्षक किया गया जिसमें उक्त खसरा नंबर जिसका नाप 95 बाई 30 वर्ग मीटर गहराई औसतन 5 मीटर पाई गई में खनन का निर्गमन पाया गया चूंकि खातेदार द्वारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन (अवेध खनन) में किया गया है अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही गई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि आरोपित अपराध से अप्रार्थी का कोई लेना देना संबंध व सरोकार नही है। वही अवेध खनन भू माफियो द्वारा अप्रार्थी की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी की खातेदारी भूमियो से अवेध खनन किया गया है। जिस हेतू पूर्व में अप्रार्थी ने कई बार जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर प्रार्थना पत्र देकर अवेध रोकने हेतू निवेदन भी किया गया है, अप्रार्थी गरीब श्रेणी का व्यक्ति है, तथा कमाने के हिसाब से अक्सर राजस्थान से बाहर रहता है। अप्रार्थी की खातेदारी में अवेध खनन होने से अप्रार्थी को कत्तई जिम्मेदारी नही ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त नोटिस काल्पनिक तथ्यो का पेश कर दिया गया है के कारण उक्त कार्यवाही निरस्तनीय है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमियो के कोई चारदीवारी नही हो रखी है, वहां पर कोई भी आ जा सकता है, वही वर्णित भूमियां अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के कमाने खाने के हिसाब से बाहर चले जाने से काफी लम्बे समय तक अपनी उक्त भूमियो पर आ जा भी नही सकता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब को को रिकार्ड पर लिया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र एवं जवाबदावा अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2017 में खसरा संख्या 3755/1 रकबा 19–12–00 में अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 101 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3755/1 रकबा 19–12–00 किस्म बारानी 3 भीमा वल्द मोती हि. 1/2 छोटी पत्नी सोहनसिंह गीता पत्नी गोपलसिंह हि.1/2 कौम रावत सा. लहरी खातेदार गीता पत्नी गोपाल सिंह का हिस्सा राहिन महिन्द्रा बैंक लिमि. जयपुर शाख मुर्तहीन तथा छोटी पत्नी सोहनसिंह का हिस्सा राहिन आईडीबीआई बैंक शाखा ब्यावर मुर्तहीन दर्ज है।

उपरोक्त समंस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3755/1 रकबा 19–12–00 किस्म बारानी–3 में उक्त कृषि भूमियों का बिना संरपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का

..... लगातार

उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3755/1 रकबा 19–12–00 किस्म बारानी–3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 16:55:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: